# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

कालूराम वगै0 **बनाम रामनाथ वगै0**

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 नम्बर–02 सन्– 2026

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 05.05.2026 | अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 4 की ओर से श्री गुड्डू सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा इस प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 के द्वारा ग्राम कानपुरा के आराजी खसरा नंबर 723 रकबा 0.75है. के आवंटन आदेश दिनांक 5.6.1992 को चुनौती दी गई है। आवंटी/गैर खातेदार मांगीराम मीना निवासी ग्राम कानपुरा को ग्राम कानपुरा स्थित आराजी खसरा नंबर 723 रकबा 0.75है0 भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन आदेश को उप तहसीलदार लवाण जिला दौसा के द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में चुनौती दी गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर दिनांक 8.9.2006 को निर्णय पारित कर उप तहसीलदार लवाण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाकर ग्राम कानपुरा स्थित आवंटित भूमि का आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखा गया है। अतः प्रकरण रेस जुडिकाटा में खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 4 ने प्रकरण रेस जुडिकाटा में खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।<br><br>हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 08.09.2006 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण सं0 234/2004 सरकार बनाम मूलचंद में विधिवत सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा निर्णय पारित किया जाकर ग्राम कानपुरा स्थित आराजी खसरा नंबर 723 रकबा 0.75है0 का आवंटन जो कि आवंटी मूलचंद पुत्र मांगीराम मीना निवासी कानुपरा को उिनांक 15.6.1992 को किया गया आवंटन आदेश बहाल रखा गया है। अतः रेस जुडिकाटा के सिद्धान्त के अनुरूप यह न्यायालय पुनः उसी खसरा नंबर पर एवं उन्ही बिन्दुओं पर विचार नहीं कर सकता।<br>अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेशिका की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।<br><br>जिला कलक्टर<br>दौसा<br><br>सत्यमेव जयते<br>Web Copy - Not Official | |